तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 15/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **ग्राम पंचायत चाटियाखेडी बनाम श्री मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - वकील अपीलार्थी
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पड़्या - वकील प्रत्यर्थी-1
3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा, बप्रकरण संख्या 33/2019 निर्णय दिनांक 04.12.2019 (अनवान श्री मांगीलाल बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार)

निर्णय

दिनांक .....

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा, बप्रकरण संख्या 33/2019 निर्णय दिनांक 04.12.2019 (अनवान श्री मांगीलाल बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा समक्ष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री मांगीलाल ब्राहम्ण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 एलआर एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 1415/704 है। वह संदीप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी साबिक कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उसकी अन्य सम्पत्ति के आराजी नम्बर 875, 876, 881, 882, 883 किता 06 कुल रकबा 0.4100 है. भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 704, 704 मी, 713 है। उक्त साबिक आराजी की भूमि के साथ ही उसके साबिक आराजी संख्या 1415/704 की भूमि राजस्व रेकर्ड में उसके पिता के नाम दर्ज है। उक्त साबिक आराजी संख्या 1415/704 भूमि को वक्त बंदोबस्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त साबिक आराजी संख्या का वर्तमान हाल आराजी के रूप में कोई नया नम्बर नहीं बनया गया और इस आराजी को राजस्व रेकर्ड में कही नहीं लिया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसको नुकसान पहुंचानें के उद्देश्य से उक्त साबिक आराजी संख्या 1415/704 के हाल नम्बर के रूप में 885 रकबा 0.1600 है. दर्शाया गया है एवं उक्त हाल आराजी संख्या 885 को साबिक आराजी संख्या 1415/704 की जगह पर राजस्व रेकर्ड व नक्शें में दर्ज किया गया है, जो सर्वथा गलत रूप से इन्द्राज किया गया है जबकि हाल आराजी संख्या 885 के साबिक आराजी संख्या 225 एवं 262 पूर्व में दर्ज है, जिससे साबिक आराजी संख्या 1415/704 की जगह उक्त साबिक आराजी संख्या 225 व 262 हे हाल नम्बर 885 को गलत रूप से बनाकर दर्ज किया है, जबकि साबिक आराजी संख्या 255 के हाल आराजी संख्या 402 व साबिक आराजी संख्या 262 के हाल आराजी संख्या 425 है, जो राजस्व रेकर्ड एवं नक्शें में दर्ज हो मौके पर कायम है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 15/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **ग्राम पंचायत चाटियाखेडी बनाम श्री मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः निवेदन है कि उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य, खातेदारी से दर्ज साबिक आराजी संख्या 1415/704 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा विलोपित किया गया है एवं गलत तरिके से उक्त आराजी की जगह आराजी संख्या 885 रकबा 0.1300 है. का अंकन किया गया, उक्त भूमि जो कि साबिक आराजी संख्या 1415/704 की होने से उसके नाम से उक्त आराजी संख्या 885 रकबा 0.1300 है. का राजस्व रेकर्ड में जरिये दुरूस्ती इन्द्राज किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का भूमि का अमलदरामद उसके नाम से किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा दर्ज रजिस्टर कर निर्णय दिनांक 04.12.2019 से स्वीकार फरमाया जाकर वांछित इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश प्रसारित किये गये। उक्त निर्णय दिनांक 04.12.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 21.02.2022 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पृथक से प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 21.02.2022 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 20.09.2022 को सुनी गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जादी मय दस्तावेज पेश किये। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र धारा-136 को पेश किया और न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। प्रत्यर्थी-1 ने इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र के पूर्व वादग्रस्त आराजी से संबंधित घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की वाद उपखण्ड गोगुन्दा में पेश किया जिसमें सम्पूर्ण सुनवाई करते हुए वादग्रस्त आराजी की वाद खारिज किया गया, तत्पश्चात उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में प्रस्तुत की गई, जो भी खारिज हो चुकी है। प्रत्यर्थी-1, न तो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष स्वच्छ हाथों से आया है, न ही इस न्यायालय के समक्ष। वादग्रस्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा ही घोषणा का वाद खारिज किया था फिर भी उसी अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-136 को स्वीकार की लिया गया। वाद की वृहद कार्यवाही में सभी बिन्दु तय किये जा चुके थे, फिर भी वादग्रस्त आराजी की संबंध में धारा-136 की समरी कार्यवाही में प्रत्यर्थी-1 का खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये जो भारी कानूनी भूल है। इसके अतिरिक्त भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जो तुलनात्मक पत्र खसरा मिलान क्षेत्रफल बनाया गया है उसमें आराजी संख्या 255 मीन, 262 मीन के हाल आराजी संख्या 885 रकबा 0.1600 है भूमि दर्ज की गई, जिससे यह प्रमाणित होता है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 15/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **ग्राम पंचायत चाटियाखेडी बनाम श्री मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साबिक आराजी 255मीन व 262 मीन के नये नम्बर 885 बने है और ऐसी महत्वपूर्ण रेकर्ड को अधीनस्थ न्यायाल ने नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित कर आराजी संख्या 885 जो कि राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी थी, उस आराजी को तरमीम करने बाबत जो आदेश दिया, वह पूर्ण अपास्त होने योग्य है। हाल आराजी संख्या 885 रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए उक्त भूमि आरक्षित की गई थी और उसके संबंध में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनहित में आदेश क्रमांक एफ-12/3/68/राजस्थान/95 दिनांक 05.12.1995 एवं तहसीलदार आदेश राजस्व-96 दिनांक 31.01.1996 से सरकारी भवन निर्माण इत्यादि हेतु आदेश जारी किया और इसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। इन तथ्यों की कोई जांच नहीं की गई। मौके पर ग्राम पंचायत चाटियाखेडी का कब्जा होकर भूमि उपभोग-उपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जिससे आक्षेपित निर्णय से अपीलार्थीगण के हित व अधिकारी पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे। इसी प्रकार उक्त आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किया गया जिससे अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की ससमय जानकारी नहीं हो सकी। इसके क्रम में व्यथित पक्षकार होने से अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं मयाद उपशमित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पृथक से प्रस्तुत किया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया। **विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खण्डन करते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया** कि प्रत्यर्थी-1 की निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 1415/704 है। वह संदीप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी साबिक कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उसकी अन्य सम्पत्ति के आराजी नम्बर 875, 876, 881, 882, 883 किता 06 कुल रकबा 0.4100 है. भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 704, 704 मी, 713 है। उक्त साबिक आराजी की भूमि के साथ ही उसके साबिक आराजी संख्या 1415/704 की भूमि राजस्व रेकर्ड में उसके पिता के नाम दर्ज है। उक्त साबिक आराजी संख्या 1415/704 भूमि को वक्त बंदोबस्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त साबिक आराजी संख्या का वर्तमान हाल आराजी के रूप में कोई नया नम्बर नहीं बनया गया और इस आराजी को राजस्व रेकर्ड में कही नहीं लिया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसको नुकसान पहुंचानें के उद्देश्य से उक्त साबिक आराजी संख्या 1415/704 के हाल नम्बर के रूप में 885 रकबा 0.1600 है. दर्शाया गया है एवं उक्त हाल आराजी संख्या 885 को साबिक आराजी संख्या 1415/704 की जगह पर राजस्व रेकर्ड व नक्शें में दर्ज किया गया है, जो सर्वथा गलत रूप से इन्द्राज किया गया है जबकि हाल आराजी संख्या 885 के साबिक आराजी संख्या 225 एवं 262 पूर्व में दर्ज है, जिससे साबिक आराजी संख्या 1415/704 की जगह उक्त साबिक आराजी संख्या 225 व 262 हे हाल नम्बर 885 को गलत रूप से बनाकर दर्ज किया है, जबकि साबिक आराजी संख्या 255 के हाल आराजी संख्या 402 व साबिक आराजी संख्या 262 के हाल आराजी संख्या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 15/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **ग्राम पंचायत चाटियाखेडी बनाम श्री मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

425 है, जो राजस्व रेकर्ड एवं नक्शें में दर्ज हो मौके पर कायम है। उक्त इन्द्राज दुरस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-136 प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों का अंकन करते हुए स्वीकार कर वांछित इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश जारी किये, जो पूर्णयतया विधिक होकर उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी न ही कोई हितबद्ध व्यक्ति है और न ही उसके हित व अधिकार प्रभावित होते है, जिससे उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त अपील मयाद बाधित है, जो कारण बताये गये है, वह संतोषप्रद व पर्याप्त नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील इन्ही बिन्दु पर एवं गुणावगुण दौनों बिन्दुओं पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें।

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण मौखिक एवं लिखित बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 21.02.2022 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय के परोक्ष पारित किये जाने से, तत्पश्चात कोविड महामारी आरम्भ होने एवं कोविड काल के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मयाद उपशमन किये जाने के आदेशो, एवं सार्वजनिक हित जुड़ा होने का हवाला दिया। प्रस्तुत कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त होने, प्रकरण सार्वजनिक हित से संबंधित होने से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2022 के आदेश से दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक मयाद उपशमन के निर्देशों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 सीपीसी मय दस्तावेज पेश किया जिस पर हम सर्वप्रथम विवेचन किया जाना उचित समझते है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा-88, 188ए टीनेन्सी एक्ट की फर्दअहकाम, जवाब दावा, उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय, राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय इत्यादि की प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी की गई प्रमाणित प्रतियां की फोटोप्रतियां/प्रमाणित प्रतियां है, हस्तगत प्रकरण में निर्णय प्रतिपादित किये जाने में सहायक होगे, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 15/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **ग्राम पंचायत चाटियाखेडी बनाम श्री मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर विवेचन का प्रश्न है, इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय के आगे के अनुच्छेद में इसके संबंध में गुणावगुण के बिन्दु के साथ ही विनिश्चय किया जा रहा है।

प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किये जाने के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट आया है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री मांगीलाल ब्राहम्ण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसके नम्बर 83/2018 हुए। उक्त वाद पत्र के अनुसार श्री मांगीलाल ब्राहम्ण ने उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा समक्ष वादपत्र स्वीकार फरमाई जाकर निम्नांकित आशय की डिक्री पारित करने की प्रार्थना की-

"1. यह कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदारी से दर्ज साबिक आराजी संख्या 1415/704 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा विलोपित किया गया है एवं गलत तरीके से उक्त आराजी की जगह आराजी संख्या 885 रकबा 0.1600 है. का अंकन किया गया उक्त भूमि जो कि साबिक आराजी संख्या 1415/704 की होने से वादी को आराजी संख्या 885 रकबा 0.1600 है. का खातेदार घोषित कर घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें।

2. यह कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदारी से दर्ज साबिक आराजी संख्या 1415/704 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा विलोपित किया गया हे एवं गलत तरिके से उक्त आराजी की जगह आराजी संख्या 885 रकबा 0.1600 है. का अंकन किया गया उक्त भूमि जो कि साबिक आराजी संख्या 1415/704 होने से वादी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, न ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किसी भी रूप में उपयोग करें ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध जारी फरमाई जावें।"

उक्त वाद में उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा दिनांक 22.07.2019 को निर्णय पारित किया कि **"प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी 2029 से 2032 के अवलोकन से साबिक आराजी संख्या 1415/704 रकबा 0.13 बीघा भूमि वादी के पिता श्री दयाशंकर पिता राधाकिशन ब्राहम्ण के नाम पर दर्ज थी। मिलान क्षेत्रफल के पृष्ठ संख्या 26 के अवलोकन से साबिक आराजी नम्बर 262 के नये नम्बर 402 व साबिक आराजी नम्बर 255 के नये नम्बर 427 बने है, जबकि पृष्ठ संख्या 32 में साबिक आराजी संख्या 255मी. एवं 262 मी. के नये नम्बर 885 रकबा 0.1600 है. बनना बताया गया है। वादी का कथन है कि हाल आराजी संख्या 885 रकबा 0. 1600 है. भूमि साबिक आराजी संख्या 1415/704 से बना है, जो पूर्व में वादी के पिता के नाम पर दर्ज थी, जिसे बिलानाम सरकार घोषित कर दिया गया है, मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से आराजी नम्बर 885 साबिक आराजी नम्बर 255 व 262 से बना है। वादी जिस भूमि पर अपना कब्जा बता रहा है। वह वर्तमान में**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 15/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **ग्राम पंचायत चाटियाखेडी बनाम श्री मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है एवं वादी यह भी सिद्व नहीं कर पाया है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता के नाम बिलानाम सरकार क्यों दर्ज कर दी गई। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे संबंधी मौखिक कथन ही किये गये है, ऐसा कोई पुख्ता सबुत पेश नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा हो। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।"

उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा के उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2019 के विरूद्ध वादी श्री मांगीलाल (इस अपील का प्रत्यर्थी-1) द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अधिवक्ता द्वारा Not Press किये जाने से खारिज कर दी गई। इससे यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा वाद में पारित निर्णय 22.07.2019 अंतिम निर्णय रहा।

उपरोक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा-136 की विषयवस्तु के अवलोकन से यह प्रकट आया है कि दोनों की विषयवस्तु समान होकर वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री मांगीलाल द्वारा एक ही व समान प्रवृति का अनुतोष चाहा गया। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रकरण की प्रकृति के अनुसार व विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत घोषणा का वाद लाकर ही पाया जा सकता है, परन्तु प्रत्यर्थी-1 द्वारा चाही गई दाद वाद में साबित नहीं होने से वाद खारिज हो चुकी है और राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत अपील भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा-136 द्वारा चाहा गया अनुतोष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 का प्रदान नहीं किया जा सकता है। परन्तु एक ही अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा एक ही विषयवस्तु को लेकर पृथक पृथक निर्णय पारित कर दिये गये, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। हम यहां उल्लेखीत करना आवश्यक समझते है कि वाद की प्रक्रिया एक वृहद प्रक्रिया होकर साक्ष्य एवं विस्तृत परिक्षण उपरान्त निर्णय पारित किये जाते है जबकि धारा-136 एलआर एक्ट की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जिसमें किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। उक्त वाद की कार्यवाही में प्रत्यर्थी-1 श्री मांगीलाल अपने कथनों का साबित नहीं कर पाया, जिसे स्वयं समान अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया फिर भी धारा-136 की कार्यवाही में अपने ही द्वारा पारित निर्णय से परे जाकर प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट को स्वीकार किया जाना पूर्णतया अनुचित एवं अवैधानिक है।

इसके अतिरिक्त यह न्यायालय यह भी पाता है कि उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में, भूमि का सार्वजनिक रूप से आरक्षित अंकित किये जाने उपरान्त भी अपेक्षित जांच की कार्यवाही नहीं की जो पूर्णतया अनुचित है। पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी प्रकट आता है कि प्रत्यर्थी-1 श्री मांगीलाल द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उक्त राजस्व वाद की कार्यवाही के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये और न ही इस न्यायालय समक्ष पेश किये। इससे यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी-1 अधीनस्थ न्यायालय समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, जो अविधिक है। चूंकि उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 15/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **ग्राम पंचायत चाटियाखेडी बनाम श्री मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किये जाने के तथ्य प्रकट हुए है, जिससे अपीलार्थी के हित प्रभावित होना स्वाभाविक होकर व्यथित पक्षकार है, ऐसें में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाता है।

धारा 136 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने का अधिकार है, जहां पक्षकार त्रुटि होना स्वीकार करते हो। हस्तगत प्रकरण में धारा-136 के अन्तर्गत चाहा गया अनुतोष संशोधन की प्रार्थना नहीं कहा जा सकता है। यह ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसे दोनों पक्षकार लिपिकीय त्रुटि के रूप में स्वीकार करते हो, यह सार्वजनिक रूप से आरक्षित भूमि पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र पर विचार करने का कोई अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है एवं ऐसी दुरस्ती केवल विधिवत दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके ही की जा सकती है यद्यपि प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज होकर पारित निर्णय अंतिम प्रकट आया है। धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के दायरे से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो पूर्णतया अविधिक है और ऐसे अविधिक निर्णय का यह न्यायालय किसी प्रकार से समर्थन करना उचित नहीं पाता है।

विधिक प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति अपना राइट या टाइटल केवल दावे से ही तय करा सकता है। जो दोनो पक्षों की जबानी व दस्तावेजी शहादत लेकर हर पक्षकार को क्रोस करने का अवसर देकर तय किए जावेगें। इस मामले में धारा 136 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि सारा मामला साक्ष्य पर निर्भर करता है और यह वाद की कार्यवाही में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2019 में तय किये जा चुके है। इस कारण इस मामले में धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

परिणामतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा को प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर